<u>प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 59/2022)</u>

तत्काल प्रकाशन के लिए

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने "केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा" पर अनुशंसाए जारी कीं

नई दिल्ली, 7 सितंबर 2022- केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व पर 26 नवंबर 2013 को जारी भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से प्राप्त दिनांक 19 फरवरी 2021 के पिछले संदर्भ पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज अपनी अनुशंसाओं को जारी की हैं।

2. एमआईबी ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी 2021 के माध्यम से 26 नवंबर 2013 को "केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व" पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं को वापस संदर्भित किया है। अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र में, एमआईबी ने भादूविप्रा को सूचित किया है कि भादूविप्रा द्वारा उपर्युक्त अनुशंसाए प्रदान किए काफी समय बीत चुका है और खासकर इस क्षेत्र में नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ मीडिया और मनोरंजन (एम एंड ई) परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। इसलिए, एमआईबी ने भादूविप्रा से एम एंड ई क्षेत्र में भविष्य के विकास / विस्तार को देखते हुए इस मामले में अनुशंसाओं का एक नया सेट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

3. इस संबंध में, भादूविप्रा ने सभी हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 25 अक्टूबर 2021 को 'केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा' पर परामर्श पत्र जारी किया था। इस परामर्श पत्र पर टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2021 थी और प्रति- टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2021 थी, जिसे कुछ हितधारकों के अनुरोध पर क्रमशः 6 दिसंबर 2021 और 20 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। परामर्श पत्र पर भादूविप्रा को 70 हितधारकों से टिप्पणियां और 7 हितधारकों से प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुईं, जो भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में ऑनलाइन मोड के माध्यम से 27 जनवरी 2022 को एक ओपन हाउस डिस्कशन भी आयोजित किया गया था।

4. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों और मुद्दों के आगे के विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(i) वर्तमान में केबल टेलीविजन वितरण क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि केबल टीवी वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के स्तर को बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त नियम लागू करने या कोई सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, घटनाक्रम की

निगरानी की जा सकती है और उचित समय पर आवश्यक समझे जाने पर हस्तक्षेप पर विचार किया जाएगा।

(ii) प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि सरकार ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रावधान के लिए अंतिम चरण को सक्षम करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा केबल बुनियादी ढांचे को साझा करने और बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकती है। सरकार मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन जारी कर सकती है, ताकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए टीएसपी द्वारा, केबल ऑपरेटर द्वारा बनाए गए अंतिम चरण के बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा सके।

(iii) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम 1995 के तहत सरकार निम्नलिखित नियमों को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए नियमों में संशोधन कर सकती है:

"केबल ऑपरेटर ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से एक्सेस सेवा प्रदाताओं / इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अंतिम चरण तक एक्सेस प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं।"

5. अनुशंसाओं का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

6. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष संख्या: +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह./-
(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा